बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1483   पटना,   दिनांक 28-03-16

5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)– 02/2014

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्रक्षेत्र का विकास हेतु विभिन्न शिल्पों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता की योजना हेतु कुल ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्रक्षेत्र का विकास हेतु विभिन्न शिल्पों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता की योजना हेतु कुल ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खादी प्रक्षेत्र के योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति प्रक्षेत्र के लिए निम्न विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु निम्न योजना के अनुसार पटना, नालन्दा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुँगेर, पुर्णियाँ एवं सहरसा जिला में कौशल विकास करने का प्रयास है ताकि अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों का कौशल विकास हो सके तथा वे अपना प्रशिक्षण से संबंधित कुटीर उद्योग स्थापित करते हुए अपने आय में वृद्धि कर सके तथा रोजगार सृजन हो सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना निम्नवत है:–

क्र0 सं0	शिल्प	प्रशिक्षणार्थियों की सं0	प्रशिक्षण की अवधि
1	सूत कताई प्रशिक्षण	80	6 माह
2	खादी वस्त्र बुनाई	40	"
3	पॉली सूत कताई	20	"
4	पॉली वस्त्र बुनाई	10	"
5	दरी/कालीन बुनाई	10	3 माह
6	जूता, चप्पल, जूट बैग एवं चर्म निर्माण	40	"
7	बैग, झोला एवं सजावटी सामग्री निर्माण	40	"
8	बेंत बाँस की विभिन्न सामग्री निर्माण	20	"
9	चूड़ी, लहठी एवं साज सजावटी सामग्री	40	"
10	मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण	20	1 माह
11	डिटर्जेन्ट पाउडर (सर्फ इकाई)	20	"
	कुल :–	340	

कृ0पृ0उ0

3. (I) ₹100.00 लाख (एक करोड़) रूपये की निकासी मुख्यशीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष 105 खादी ग्रामोद्योग, मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0102 अनु0 जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड पी0 2851001050102 के विषयशीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद से (II) एवं शेष ₹50.00 लाख (पचास लाख रूपये) की निकासी मुख्यशीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मांग सं0 23 उप शीर्ष 0102 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता विपत्र कोड पी0 2851007960102 के विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद से विकलित होगा। जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराएगें।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक होगें, जो इसका अनुश्रवण करेगें। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से देगें।

6. यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के स्वीकृति सचिका सं0–5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)–02/2014 के पृ0– 33/टि0 पर दिनांक– 28.03.2016 को प्राप्त है।

8. यह राज्यादेश सचिका सं0–5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)– 02/2014 के पृ0 35/टि0 पर दिनांक– 28.03.2016. को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 7355 (वि0) 2 दिनांक –05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– *5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)– 02/2014* 1483 पटना, दिनांक 28-03-16

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, गाँधी मैदान (पूर्वी), पटना/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं खादी संस्था/समितियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)— 02/2014 1483 पटना, दिनांक 28-03-16

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)— 02/2014 1483 पटना, दिनांक 28-03-16

प्रतिलिपिः— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)— 02/2014 1483 पटना, दिनांक 28-03-16

प्रतिलिपिः—वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 5/स0 अनु0जाति (खा0बो0)— 02/2 1483 पटना, दिनांक 28-03-16

प्रतिलिपिः— आय व्यय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/आय—व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (श्रीमति पूर्ति)/प्रशाखा पदाधिकारी—1 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/प्रशाखा पदाधिकारी—5 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।